

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

चिमनाराम

बनाम

महावीर

नं.

106/2016

12/1/23

पत्रा. पेश ईई। वादी व वादी वकील न्यायालय
समय में अनुपस्थित। बार-बार अवाज लगाने
के बावजूद न्यायालय में उप. नहीं होने पर
पत्रावली अ. हाजरी व अ. पैरवी में धारिज की
जाती है। पत्रावली कैमल शुमार होकर नम्बर से
कम हो, दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

